रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एल.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.) 72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 539] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 23, 1986/पौष 2, 1908
No. 539] NEW DELHI, TUESDAY, DEC. 23, 1986/PAUSA 2, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड

नई दिल्ली, 23 दिसम्बर, 1986

अधिसूचना

सं. 496/86—सीमा-शुल्क

का. आ. 946 (अ):—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड, सीमाशुल्क अधिनियम 1962, (1962 का 52) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गुजरात राज्य के मेहसाना जिले के छत्राल ग्राम को शत प्रतिशत निर्यातोन्मुख यूनिट स्थापित करने के प्रयोजनों के लिए भाण्डागार स्टेशन घोषित करता है।

[फा. सं. 473/602/85—सी शु. VII]
एम. माइकेल, अवर सचिव

CENTRAL BOARD OF EXCISE AND CUSTOMS

New Delhi, the 23rd December, 1986

NOTIFICATION

NO. 496|86-CUSTOMS

S.O. 946(E).—In exercise of the powers conferred by section 9 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Excise and Customs hereby declares Village Chhatral in District Mehsana in the State of Gujarat to be a warehousing station for the purposes of setting up hundred per cent export-oriented units.

[F. No. 473|602|85-Cus. VII]

M. MICHAEL, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986